अनुदान संख्या 15 - दूरसंचार विभाग
GRANT No. 15–DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	3956,38,00				
				5686,25,00	5625,72,98	–60,52,02
पूरक	Supplementary	1729,87,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					117,86,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			202,27,00	100,00,00	–102,27,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					102,27,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (11786.00 लाख रु.) 6052.02 लाख रु. की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.11786.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.6052.02 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	14427.00			
पू.	S.	3061.00	15984.29	15715.07	–269.22
पु.	R.	–1503.71			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2071" पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	Major Head "2071" Pensions and Other Retirement Benefits				
मू.	O.	120000.00	124000.00	130530.50	+6530.50
पु.	R.	4000.00			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	10263.00	172.61	172.60	–0.01
पु.	R.	–10090.39			
मुख्य शीर्ष "3275" अन्य संचार सेवाएं	Major Head "3275" Other Communication Services				
मू.	O.	250948.00	416642.10	416114.81	–527.29
पू.	S.	165886.00			
पु.	R.	–191.90			

(I) 10002.00 लाख रु. का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से 10000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2852" - "दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग - दूरसंचार - कर्ज को बट्टे खाते डालना" के अंतर्गत भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. को कर्ज की अदायगी न किए जाने तथा परिणामस्वरूप बट्टे खाते न डाले जा सकने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.10002.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.10000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2852" – "Telecommunications and Electronic Industries - Telecommunication - Writeoff of Loans"- due to non-payment of loan to Indian Telephone Industries Limited and consequently writeoff could not be effected.

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" - "सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग - निदेशालय" के अंतर्गत 4489.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को मार्च, 2006 में 3061.00 लाख रु. का पूरक

(A) Under Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunications - Directorate"- the original

अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 7550.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो समूह 'क' अधिकारियों को आमेलित किए जाने की प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 823.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

provision of Rs.4489.00 lakhs was augmented to Rs.7550.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.3061.00 lakhs in March, 2006 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.823.89 lakhs - due to non-finalisation of absorption process of Group 'A' Officers.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3275'' - ''अन्य व्यय - ग्रामीण टेलीफोन के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रतिपूर्ति'' के अंतर्गत 61667.00 लाख रु. की निधियां अगस्त, 2005 में पूरक अनुदान प्राप्त करके उपलब्ध कराई गईं थी जो प्रत्याशा से कम दावे प्राप्त होने के कारण 3371.00 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(B) Under Major Head "3275" - "Other Expenditure - Reimbursement to Bharat Sanchar Nigam Limited towards rural telephony" - funds of Rs.61667.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant in August, 2005 which, however, remained unutilised to the extent of Rs.3371.00 lakhs - due to receipt of less claims than anticipated.

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सामान्य प्रशासन - दूरसंचार विभाग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "3451" - "General Administration - Department of Telecommunications"- savings occurred under the following heads:-

(का) ''दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र'' - 185.83 लाख रु. की बचत (915.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और दो क्षेत्रीय केंद्रों के बंद होने के कारण हुई।

(A) "Telecommunications Engineering Centre"- saving of Rs.185.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.915.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and closure of two Regional Centres.

(खा) ''टेलीमेटिक्स विकास केंद्र'' - 688.00 लाख रु. की बचत (8200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ परियोजनाओं के लिएअपेक्षित संघटकों और उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Centre for Development of Telematics"- saving of Rs.688.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8200.00 lakhs) was due to delay in procurement of components and equipments required for some of the projects.

(गा) ''छुट-पुट निर्माण कार्य'' - 101.77 लाख रु. की बचत (113.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा के खोलने एवं तकनीकी मूल्यांकन में विलंब होने के कारण हुई।

(C) "Petty Works"- saving of Rs.101.77 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.113.00 lakhs) was due to delay in opening of tender and technical evaluation.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2071'' - 'सिविल'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(IV) Under Major Head "2071" - "Civil"- savings occurred under the following heads :-

(का) ''पेंशन का संराशित मूल्य' - 6214.44 लाख रु. की बचत (26500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रत्याशा से कम संख्या में दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Commuted value of Pensions"- saving of Rs.6214.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26500.00 lakhs) was due to receipt of less claims than anticipated.

(खा) ''छुट्टी नकदीकरण हितलाभ' - 853.32 लाख रु. की बचत (1250.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना

(B) "Leave encashment benefits"- saving of Rs.853.32 lakhs (against the sanctioned provision

में) भारत संचार निगम लिमिटेड में स्टाफ और अधिकारियों को आमेलित किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3275'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) 'बेतार आयोजना और समन्वय' - 6009.71 लाख रु. की बचत (6501.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वी/यूएचएफ, एमएमएस एवं निर्धारित स्थलों के परीक्षण की स्वीकृति के संबंध में कार्यके पूरा न होने के कारण हुई।

(खा) 'बेतार निगरानी सेवाएं' - 754.34 लाख रु. की बचत (1666.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि अधिग्रहण एवं सिविल निर्माण कार्य के पूरा किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(गा) ''अन्य व्यय - अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' - 176.03 लाख रु. की बचत (718.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रुपए की विनिमय दर में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत 90.40 लाख रु. की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 34 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (10446.54 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 एवं मार्च, 2006 में 172987.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल-अधिवार्षिता और सेवानिवृत्ति भत्ते'' - 1295.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 8127.55 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3275'' -

(क) ''विश्व व्यापक सेवा दायित्व के अंतर्गत सेवा प्रदायकों को प्रतिपूर्ति'' - 1685.27 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1685.43 लाख रु. था।

(ख) ''आरक्षित निधि को अंतरण - विश्व व्यापक सेवा दायित्व निधि को अंतरण' - 7466.27 लाख रु.।

Rs.1250.00 lakhs) was due to absorption of staff and officers in Bharat Sanchar Nigam Limited.

(V) Under Major Head "3275" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Wireless Planning and Co-ordination" - saving of Rs.6009.71 lakhs (against the sanctioned provision Rs.6501.00 lakhs) was due to non-completion of work relating to acceptance testing of V/UHF, MMS and fixed sites.

(B) "Wireless Monitoring Services" – saving of Rs.754.34 lakhs (against the sanctioned provision Rs.1666.00 lakhs) was due to delay in acquisition of land and completion of civil works.

(C) "Other Expenditure - International Co-operation" - saving of Rs.176.03 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.718.00 lakhs) was due to change in exchange rate of rupee.

(VI) Under one head saving of Rs.90.40 lakhs occurred constituting 34 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.10446.54 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.172987.00 lakhs in August, 2005 and March, 2006 under the following major heads:-

(A) Major Head "2071" - "Civil-Superannuation and Retirement Allowances" - Rs.1295.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.8127.55 lakhs.

(B) Major Head "3275" -

(a) "Compensation to Service Providers for Universal Service Obligation" - Rs.1685.27 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1685.43 lakhs.

(b) "Transfers to Reserve Fund - Transfer to Universal Service Obligation Fund" - Rs.7466.27 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2071'' - ''सिविल'' -

(A) Major Head "2071" - "Civil" -

(क) ''उपदान'' - 2711.96 लाख रु. का अधिक व्यय (28500.00 लाख रु. के स्वीकृत की तुलना में) भारत संचार निगम लिमिटेड/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में आमेलित कर्मचारियों को औद्योगिक महंगाई भत्ते पर उपदान की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(a) "Gratuities" - excess of Rs.2711.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28500.00 lakhs) was due to payment of gratuities on industrial dearness allowance to the employees absorbed in Bharat Sanchar Nigam Limited/Mahanagar Telephone Nigam Limited.

(ख) ''परिवार पेंशन'' - 2760.78 लाख रु. का अधिक व्यय (9500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बैंको, डाकघरों जैसे विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से अदायगियां किए जाने की वजह से प्रत्याशा से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(b) "Family Pensions" - excess of Rs.2760.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9500.00 lakhs) was due to receipt of more claims than anticipated as the payments are made through different agencies such as Banks, Post Offices.

(खा) मुख्य शीर्ष ''3275'' - ''अन्य व्यय - भारतीय टेलीफोन उद्योग, बंगलौर'' - 448.70 लाख रु. अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय टेलीफोन उद्योग लि. की श्रीगनर इकाई द्वारा हुई हानि को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "3275" -"Other Expenditure - Indian Telephone Industries, Bangalore"- excess of Rs.448.70 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs) was due to requirement of funds to meet losses suffered by Srinagar Unit of Indian Telephone Industries Limited.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 68.42 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of Rs.68.42 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''5275'' अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5275" Capital Outlay on Other Communication Services				
मू.	O.	227.00	..	..	..
पु.	R.	–227.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष '6859'' दूरसंचार एवं इलेक्ट्रानिक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6859" Loans for Telecommunication and Electronic Industries				
मू.	O.	20000.00			
			10000.00	10000.00	. .
पु.	R.	–10000.00			

(I) 227.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष ''5275'' - ''अन्य संचार सुविधाएं - कार्यालय भवन'' के अंतर्गत कार्य का निष्पादन न किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.227.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "5275" - "Other Communication Facilities - Office Building"- due to non-execution of works.

(II) मुख्य शीर्ष ''6859'' - ''दूरसंचार - सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय टेलीफोन उद्योग लि.'' के अंतर्गत 10000.00 लाख रु. की बचत (20000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय टेलीफोन उद्योग के पास विद्यमान अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "6859" - "Telecommunications - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Indian Telephone Industries Limited" - saving of Rs.10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.20000.00 lakhs) was due to availability of unspent balances with Indian Telephone Industries.